राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3127/2025

रामनिवास

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव उप–आयुक्त, पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर, जिला नागौर।
3. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति मेड़ता जिला नागौर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.06.2025
आदेश की दिनांक : 30.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी सहायक विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत हो गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को सहायक विकास अधिकारी के पद से दिनांक 29.02.2024 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं होने के कारण दिनांक 27.07.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा पेंशन भुगतान करने संबंधी आदेश जारी किये गये। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 29.02.2024 को सेवानिवृत हो गया है। इस कारण अपीलार्थी को जुलाई माह में वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रखा गया। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 के अनुसार अपीलार्थी उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा

की गई सेवा के लिए 01 जुलाई से 30 जून तक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ पाने का हकदार है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को 01 जुलाई से 29 फरवरी की अवधि के दौरान अपीलार्थी द्वारा की गई सेवाओं के लिए 01 जुलाई से काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के निर्देश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य पदोन्नति आदेश दिनांक 18.10.2022 (अनुलग्नक–6) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है। अनुलग्नक–6 के द्वारा अपीलार्थी को चयनित वेतन श्रृंखला में वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं हुई है।